राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः— ई—33/सीधी भर्ती/एम—70/स.रे./2011/ दिनांक :

आदेश

राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 के अन्तर्गत सहायक रेडियोग्राफर के पद हेतु निदेशालय के कमांक :ई—33/सीधी भर्ती/स.रे./10/463 दिनांक 27.7.2010 के द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति के परिपेक्ष्य में निम्नलिखित प्रतीक्षारत अभ्यार्थियों को वरियता के आधार पर निदेशालय के कमांकःई—33/एम—70/सीधी भर्ती/स.रे./2011/513 दिनांक 25.7.2011 के द्वारा चयनित किया गया था, को कार्यग्रहण करने की तिथि से 2 वर्ष की समयावधि के लिए प्रोबेशनल ट्रेनी के रूप में पूर्णतः अस्थाई तौर पर मासिक नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) रूपये 7900/— पर सहायक रेडियोग्राफर पद पर नियुक्ति प्रदान कर पदस्थापन उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थानों पर किया जाता है। 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि (प्रोबेशनल ट्रेनी) सफलता पूर्वक पूर्ण करने तथा कार्य एवं व्यवहार संतोषप्रद पाये जाने पर ही पद की वेतन श्रृंखला 5200—20200 का न्यूनतम वेतन एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे। चयनित अभ्यर्थियों पर अंशदायी पेंशन योजना परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने के बाद लागू होगी :—

क. सं.	आवेदक का नाम/पिता,पति का नाम	गृह जिला	जन्म तिथि	जाति वर्ग	स्त्री/पुरूष	पदस्थापन स्थान
1.	रमेश जांगिड़/ओम प्रकाश जांगिड़	जोधपुर	30.6.86	बी.सी.	पुरूष	टी0बी0 क्लीनिक माउंट आबू, सिरोही
2.	शिव लाल धाकड़/रामचन्द	चित्तौड़गढ़	1.8.74	बी.सी.	पुरूष	सीएचसी देवगढ, राजसमन्द
3.	धूडाराम महला/रामेश्वर लाल महला	सीकर	5.5.88	बी.सी.	पुरूष	राजकीय चिकित्सालय सुजानगढ, चूरू
4.	सीमा गोचर/रामस्वरूप गोचर	कोटा	11.9.87	बी.सी.	स्त्री	जिला चिकित्सालय ब्यावर, अजमेर

उपरोक्त उल्लेखित अभ्यर्थी अपनी उपस्थिति संबंधित अधिकारी को दिनांक 19.9.11 तक आवश्यक रूप से देवें। उपस्थिति के समय मूल शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र/जाति प्रमाण पत्र/स्वास्थ्य प्रमाण पत्र (फिजिकल फिटनेस प्रमाण पत्र), दिनांक 22.5.2006 से पूर्व यदि विवाह हुआ हो तो शपथ पत्र एवं दिनांक 22.5.2006 के पश्चात हुए विवाह के लिए विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, दो चरित्र प्रमाण पत्र जो अलग—अलग राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित किये गये हो, प्रस्तुत करने होंगे। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत मूल प्रमाण पत्रों को आवेदन पत्र में संलग्न प्रमाण पत्रों की प्रति से मिलान करें। इन प्रमाण पत्रों की जांच एवं सही पाये जाने की संतुष्टि पश्चात ही अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण करावें। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में यदि अनियमिता पाई जाये तो प्रकरण तुरन्त निदेशालय को भिजवायें। कार्यग्रहण की अंतिम तिथि के पश्चात नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे। आपराधिक दोष सिद्धि न होने का प्रमाण पत्र (पुलिस वैरीफिकेशन) संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक के द्वारा जारी किया गया हो, प्राप्त होने पर ही अभ्यर्थी को कार्यग्रहण कराया जावेगा। आचरण संदिग्ध अथवा दोष सिद्धि के कारण सजा होने की स्थिति में कार्यग्रहण न कराकर प्रकरण पूर्ण रूप से तैयार कर मय दस्तावेजात के साथ अग्रिम आदेशार्थ संबंधित अधिकारी द्वारा निम्न हस्ताक्षरकर्ता को प्रेषित किये जायेंगे।

चयनित अभ्यर्थी कार्यग्रहण से पूर्व संबंधित अधिकारी को शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा कि यदि कोई प्रमााण पत्र/दस्तावेज फर्जी संदिग्ध अथवा परिवर्तित किया हुआ पाया गया तो उसे सेवा से पृथक किया

जा सकेगा तथा वह आपराधिक दण्डिक कार्यवाही का भागी होगा। किसी भी अभ्यर्थी का कोई भी पात्रता संबंधी दस्तावेज या प्रमाण पत्र बाद सत्यापन असत्य/फर्जी पाये जाने पर उसके नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे। सेवारत कर्मचारियों द्वारा सक्षम अधिकारी से सहायक रेडियोग्राफर पद हेतु आवेदन प्रस्तुत किए जाने का अनापत्ति प्रमाण पत्र व कार्यमुक्ति आदेश की प्रति प्रस्तुत किए जाने पर ही कार्य पर लिया जाएं।

दिनांक 1.6.2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक संतान नही होने का शपथ पत्र 10/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर जो नोटरी पब्लिक द्वारा सत्यापित किया गया हो, उपस्थिति रिपोर्ट के साथ उपरोक्त उल्लेखित शर्तो को पूर्ण करते हुए प्रस्तुत करना अनिवार्य है, इसके अभाव में अभ्यर्थी नियुक्ति का पात्र नही माना जावेगा।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
राज. जयपुर

क्रमांकः– ई–33/सीधी भर्ती/एम–70/स.रे./2011/ 571 दिनांक : 19-8-11

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय/राज्यमंत्री महोदय, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।
3. उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग, राज. जयपुर।
4. निदेशक, जन स्वास्थ्य/एड्स/प.क./मुख्यालय।
5. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय।
6. संयुक्त निदेशक, योजना मुख्यालय।
7. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जोन।
8. समस्त संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी राजस्थान को भेजकर लेख है कि आपके अधीन पदस्थापित किए गए अभ्यर्थियों के मूल आवेदन पत्र रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये जा रहे है। आप आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेजों को मूल शैक्षणिक, तकनीकी एवं अन्य समस्त प्रमाण पत्रों से मिलान कर सही पाये जाने एवं पूर्णतया संतुष्ट होने के उपरांत ही नियुक्ति आदेश में दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत कर्त्तव्य पर लेवें। यदि किसी दस्तावेज की प्रमाणिकता संदिग्ध पायी जावे तो उन मामलों में स्पष्ट रिपोर्ट के साथ प्रकरण इस निदेशालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु अभिशंषा सहित अग्रेषित करें। सेवारत कर्मचारियों द्वारा सक्षम अधिकारी से सहायक रेडियोग्राफर पद हेतु आवेदन प्रस्तुत किए जाने का अनापत्ति प्रमाण पत्र व कार्यमुक्ति आदेश की प्रति प्रस्तुत किए जाने पर ही कार्य पर लिया जाएं। इसके अतिरिक्त यह भी निर्देश दिये जाते है कि कार्यग्रहण उपरान्त भी शैक्षणिक एवं तकनीकी प्रशिक्षण संबंधी दस्तावेजों का सत्यापन 30 दिवस की अवधि में संबंधित राज्य के बोर्ड/संस्थान में वाहक भेजकर आवश्यक रूप से करवाया जावे। अभ्यर्थी को मूल दस्तावेज इसके पश्चात ही लौटाये जावे एवं सत्यापन की रिपोर्ट भी अविलम्ब निदेशालय को भेजे। इस प्रक्रिया में हुई किसी भी अनियमिता के लिए आपका व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा। पद उपलब्ध नही होने पर कार्यग्रहण नही करवाया जावे एवं निदेशालय को अवगत करवाया जावे।
9. श्री/श्रीमती/सुश्री ....
10. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय।
11. आदेश/रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
राज. जयपुर

D:\Kala Sharma\Order.doc